



**बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं./71/2022

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर।

पटना 14, दिनांक-

विषय - भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर-बेला-नवादा (47.00-89.21 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/155194/2022/966 दिनांक 06.03.2023 एवं आपका कार्यालय पत्रांक 208 (अनु०) दिनांक 27.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/ROAD/155194/2022/966 दिनांक 06.03.2023 द्वारा विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 3.2213 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर दो भागों (भाग-A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 200 दिनांक 21.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में रु. 39,82,088/- एवं NPV मद में रु. 30,85,297/- अर्थात् कुल रु० 70,67,385/- (रुपये सत्तर लाख सड़सठ हजार तीन सौ पच्चासी) मात्र को कैम्पा लेखा में जमा कराते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपत शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। आपके कार्यालय पत्रांक 208 (अनु०) दिनांक 27.04.2023 द्वारा मांग की गयी राशि जमा कराते हुए कार्यादेश की मांग की गयी है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 200 दिनांक 21.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में रु. 39,82,088/- की मांग की गयी थी, जिसका आकलन रु० 373 प्रति मानव दिवस के आधार पर किया गया था। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रु० 388 प्रति मानव दिवस किया गया है।

4. वर्तमान मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 41,42,168/- (रुपये एकतालीस लाख बियालीस हजार एक सौ अड़सठ) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक वनरोपण मद हेतु रु. 41,42,168.00
(-) आपके द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण मद में जमा की गयी राशि रु. 39,82,088.00 अर्थात अंतर की राशि रु. 1,60,080.00 मात्र को कैम्पा लेखा में जमा कराने की आवश्यकता है।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु० 388/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है।
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

5. उपर्युक्त CA मद की अंतर की राशि रु. 1,60,080/- (रुपये एक लाख साठ हजार अस्सी) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

6. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

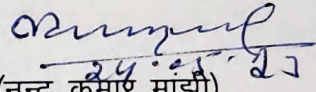
7. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-9 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-9 शर्तों का संशोधित अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक- व.सं./71/2022-370 दिनांक- 24/05/2023

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं समस्तीपुर/वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नन्द कुमार मांझी)
उप वन संरक्षक।



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शाहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014
संख्या-व.सं./71/2022-200

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मुजफ्फरपुर।

पटना 14, दिनांक- 21/03/2022

- विषय - भारतमाला परियोजना के तहत दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बलभद्रपुर-बेला-नवादा (47.00-89.21 कि०मी०) पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.2213 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।
- प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/155194/2022/966 दिनांक 06.03.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 3.2213 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर दो भाग (भाग-A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A में 1-9 शर्तें तथा भाग-B में 1-9 शर्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A के शर्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी दर पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 39,82,088/- (रुपये उनचालीस लाख बैरासी हजार अठ्ठासी) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु० 373/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A के शर्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 3.2213 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 9.57780 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 30,85,297/- (रुपये तीस लाख पच्चासी हजार दौ सौ सनतानवें) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

4. उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रु० 70,67,385/- (रुपये सत्तर लाख सड़सठ हजार तीन सौ पच्चासी) मात्र को मंत्रालय के वेब-साइट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

5. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-9 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-9 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

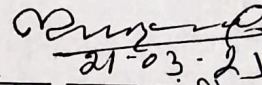
ह०/-

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक- व.सं./71/2022-200 दिनांक- 21/03/2023

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला एवं समस्तीपुर/वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21-03-23

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।